झारखण्ड सरकार

कृषि एवं गन्ना विकास विभाग

आदेश संख्या......01.......   दिनांक....26/07/13

आदेश

खाद्य एवं पोषण सुरक्षा देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसकी चर्चा न केवल विकास लक्ष्यों में की गई है बल्कि हमारी राज्य नीतियों में भी इसका वर्णन है। इसके साथ-साथ सभी वर्गो को साथ लेकर चलने वाली एवं अनवरत आर्थित प्रगति भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए सरकार कृषि जनित आय को बढ़ाने और ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा प्रदान करने की ओर निरंतर ध्यान दे रही है। यह नीति हमारी भविष्य की जरूरतों को पूरा करने व वांछित उत्पादन स्तर प्राप्त करने के लिए भी अपरिहार्य है।

कृषि प्रसार प्रणाली में सुधार के अन्तर्गत राज्य के सभी जिलों में ''**आत्मा**'' मॉडल लागू किया गया है तथा कृषि विकास के सभी कार्य नई कृषि प्रसार प्रणाली द्वारा सम्पन्न किया जा रहा है। भारतीय परिवेश में वैज्ञानिकों द्वारा विकसित यह कार्यक्रम जो ''बॉटम अप अप्रोच'' से कार्य करता है, यानि ग्रामीण स्तर पर किसान अपनी आवश्यकता एवं संसाधन के आधार पर कार्यक्रम तैयार करते हैं। सभी विभागों के संबंधित पदाधिकारी मिलकर किसानों को तकनीकी सहयोग प्रदान करते हैं।

कृषकों की भागीदारी के माध्यम से कार्यक्रम के नियोजन एवं साधनों के आवंटन में विशेषकर प्रखण्ड स्तर पर सभी भागीदारों के दायित्व को बढ़ाना हैं। कार्यक्रम में समन्वय को बढ़ाना है, ताकि कृषि प्रणाली में नवीनता, कृषक संगठनों के सशक्तीकरण, प्रौद्योगिकी विकास और अंगीकरण के बीच के अन्तर को कम करने के कार्य एवं प्राकृतिक संसाधन एवं प्रबंधन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन को और अधिक प्रभावशाली एवं दक्षतापूर्ण तरीके से आगे बढ़ाया जा सके।

इन तथ्यों के आलोक में संशोधित आत्मा स्कीम, 2010 को स्वरुप दिया गया है।

सरकार कृषि मंत्रालय के केन्द्र-पोषित एवं केन्द्र-प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से कृषि एवं सम्बन्धित क्षेत्रों की जरूरतों को प्रभावशाली रूप से ध्यान देती रही है। जहां एक ओर कृषि एवं सहकारिता विभाग और पशुपालन, दुग्ध एवं मत्स्य पालन विभाग क्षेत्र विशेष से संबंधित

योजनायें एवं कार्यक्रमों के निर्माण में लगे हुयें हैं, वहीं दूसरी ओर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (भा.कृ.अ.प.) उत्पादकता बढ़ाने हेतु लगातार बेहतर वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी विधियां अनुसंधान के माध्यम से विकसित करता है।

गत कई वर्षो से हमने राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, दालों एवं मक्का संबंधी समेकित योजना, कृषि मैक्रो प्रबंधन, गुणवत्ता वालें बीजों के उत्पादन और वितरण के लिए आधारभूत ढांचे का और सुदृढ़ीकरण आदि विभिन्न योजनाओं के बेहतर परिणाम देखें हैं। इसी प्रकार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (भा.कृ.अ.प.) ने कई नई किस्में और वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय यंत्र व विधियां विकसित की हैं जिनसे भूमि की उत्पादकता में सुधार लाने और किसानों की आय बढ़ाने में सीधा सहयोग मिला है, जबकि कृषि मंत्रालय स्तर पर समन्वय ढांचे का संतोषजनक विकास हुआ है, फिंर भी वैज्ञानिक समुदाय और किसान – लाभार्थ योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार क्षेत्र स्तरीय कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल में अभी और सुधार की संभावना है।

हरितक्रांति की सफलता का एक कारण था कि सभी वैज्ञानिक, प्रशासक और किसान कृषि क्षेत्र में एक मूलभूत परिवर्तन लाने के लिए एकजुट होकर आगे आये। समयांतराल में यह परस्पर सहयोग की कड़ी उतनी मजबूत नहीं रही है। वैज्ञानिकों एवं प्रशासकों; प्रशासकों एवं किसानों तथा वैज्ञानिकों एवं किसानों के बीच परस्पर संबंधों में इस कमी से वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय विकास से होने वाले लाभ से किसान प्रायः वंचित रह जाते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपनी रणनीतियों पर पुनर्विचार करें कि किस तरह वैज्ञानिक, प्रशासक और किसान के बीच सीधा सम्पर्क स्थापित किया जा सकता हैं, या यूं कहिए कि प्रयोगशाला से खेत तक की पहुंच कैसे मजबूत बनाई जा सकती है।

भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता विभाग व कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (पत्रांक–F.No. 26(1)/2010-A.E. दिनांकः 27 जनवरी, 2011) द्वारा कृषि अनुसंधान एवं विस्तार के बीच तालमेल (छायाप्रति संलग्न) हेतु दिये गये मार्गदशन के संदर्भ में कृषि विज्ञान केन्द्र (के0वी0के0) एवं कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण (आत्मा) के बीच बेहतर तालमेल हेतु निम्न लिखित दिशा निर्देश दिये गये है :

- आत्मा की शासी निकाय एवं प्रबंधन समिति की बैठक में भाग लेने के अतिरिक्त के.वी.के. के कार्यक्रम समन्वयक एवं आत्मा के परियोजना निदेशक फसल चक्र के दौरान माह में कम से कम एक बार आपस में बैठक करके चर्चा करेंगें और फसल विकास की विभिन्न अवस्थाओं पर किसानों को फसल संबंधी सलाह उपलब्ध कराने के लिए एक रणनीति तैयार करेंगें।
- जिलों के विभिन्न प्रखण्डों में आवश्यक 'तकनीकी जरूरतों' को चिन्हित करने तथा उन्हें पूरा करने हेतु के.वी.के. में उपलब्ध वैज्ञानिक प्रखण्ड प्रौद्योगिकी टीमों को सलाह देंगे तथा उनका ज्ञानवर्धन करेंगे।
- कृषि विज्ञान केन्द्र विस्तार कर्मियों को तुरंत मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए राज्य कृषि विश्वविद्यालय जिलावार एक विशेषज्ञ को नामांकित करेंगे, जो विस्तार कर्मियों को त्वरित रूप से जानकारी सुलभ करायेंगे। इसके लिए इस विशेषज्ञ को 24000/- रूपया प्रति वर्ष की राशि (मोबाईल संचार पर व्यय सहित) आत्मा संसाधनों से प्रदान की जायेगी।
- आत्मा के अंतर्गत तैयार रणनीतिक अनुसंधान एवं प्रसार योजना (एस.आर.ई.पी.) के आधार पर समग्र जिला कृषि कार्य योजना (डी.ए.ए.पी.) को आत्मा और के.वी.के. द्वारा संयुक्त रूप से संशोधित किया जायेगा और इनमें इंगित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सांझा कार्रवाई किया जायेगा।
- राज्य के सचिव, कृषि एवं गन्ना विकास विभाग से परामर्श करके विश्वविद्यालय के कुलपति, राज्य कृषि विश्वविद्यालय विशिष्ट वैज्ञानिकों को जिला आवंटित करेंगे।
- स्थानीय परियोजना निदेशक (आत्मा) और कृषि विज्ञान केन्द्र के साथ पुनः सम्पर्क स्थापित करके, इस तंत्र के जरिए किसानों को कृषि प्रौद्योगिकी संबंधी जानकारी उपलब्ध करायेंगे, जिसके लिए राज्य के विभिन्न कृषि विज्ञान केन्द्रों से निम्नलिखित वैज्ञानिकों को नामित किया गया है –

क्र. सं.	आत्मा जिला का नाम	विषय वस्तु विशेषज्ञ का नाम एवं विशेषज्ञता	मोबाईल नम्बर
1.	पूर्वी सिंहभूम	श्री भुषण प्रसाद सिंह (शस्य)	94315 95360
2.	पश्चिम सिंहभूम	श्री सनत सावैया (कृषि प्रसार)	99315 85590
3.	सरायकेला	डॉ0 (श्रीमती) किरण सिंह (कृषि प्रसार)	94315 81707 89868 82234
4.	रांची	डॉ0 अजित सिंह (मृदा विज्ञान) कार्यक्रम समन्वयक	94303 79197
5.	लोहरदगा	डॉ0 शंकर कुमार सिंह (मृदा विज्ञान) कार्यक्रम समन्वयक	94311 00641
6.	गुमला	श्री निरज कुमार वैश्य	93343 26632
		श्री मृत्युंजय कुमार	89874 62944
7.	सिमडेगा	डॉ0 अशोक कुमार (शस्य) कार्यक्रम समन्वयक	94317 11339
8.	लातेहार	श्री महेश जेराई (शस्य विज्ञान)	94317 69672
9.	पलामू	श्री एल0के0 दास, कार्यक्रम समन्वयक	94315 07690
10.	गढ़वा	डॉ0 देवकान्त प्रसाद (शस्य) कार्यक्रम समन्वयक, के0भी0के0	94313 33148
11.	चतरा	डॉ0 रंजय कुमार सिंह (कृषि प्रसार), कार्यक्रम समन्वयक	94313 39380
12.	कोडरमा	डॉ0 बी0के0 सिंह (शस्य) कार्यक्रम समन्वयक	94715 42551
13.	हजारीबाग	श्री एस0एन0 चौधरी (शस्य)	94307 84848
14.	बोकारो	श्री उदय कुमार सिंह (शस्य) कार्यक्रम समन्वयक	94311 26991
15.	धनबाद	डॉ0 आदर्श कुमार श्रीवास्तव (कृषि प्रसार)	94315 90349
16.	गिरिडीह	डॉ. जयन्त कुमार लाल (मृदा विज्ञान)	94307 40509
17.	जामताड़ा	श्री संजीव कुमार (शस्य) कार्यक्रम समन्वयक	94310 79302
18.	गोड्डा	डॉ0 राजपाल सिंह (शस्य)	94303 20640
19.	पाकुड़	डॉ0 राजीव कुमार (पौधा संरक्षण) कार्यक्रम समन्वयक	89866 70651
20.	साहेबगंज	डॉ0 ए0के0 झा, (शस्य), के0भी0के0, साहेबगंज	94312 13883
21.	दुमका	डॉ0 श्रीकान्त सिंह (शस्य), कार्यक्रम समन्वयक	94311 30454
22.	देवघर	डॉ0 पी0के0 शनीग्राही (शस्य) कार्यक्रम समन्वयक	9430320305
23.	रामगढ़	डॉ0 एन0सी0 गुप्ता (मृदा विज्ञान), बी0ए0यू0, रांची	94315 76842

- विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्र, जिला कृषि अधिकारियों, परियोजना निदेशक (आत्मा) और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों के बीच परस्पर परिचर्चा हेतु एक तिमाही बैठक का आयोजन किया जायेगा।
- बैठक की कार्रवाई से सचिव (कृषि/अन्य संबंधित विभाग जैसे बागवानी, पशु-पालन, मत्स्य-पालन आदि) को अवगत कराया जायेगा। विश्वविद्यालय के कुलपति तिमाही गतिविधियों और प्रगति की संक्षिप्त विवरण भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक को भी प्रस्तुत करेंगें।

भ्रमण तालिका

कृषि विज्ञान केन्द्र एवं कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण (आत्मा) का संयुक्त भ्रमण/बैठक सारणी निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है –

क्र. सं.	कृषि विज्ञान केन्द्र एवं आत्मा के पदाधिकारी/प्रसार कार्यक्रता	भ्रमण/बैठक अवधि	कार्यक्रम	अभ्युक्ति
1.	कार्यक्रम समन्वयक एवं परियोजना निदेशक	पाँच ग्राम	माह में पांच ग्रामों का परिभ्रमण/बैठक	महीने के अंत में दोनों पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षर से प्रतिवेदन निदेशक, समेति एवं निदेशक, प्रसार शिक्षा को उपलब्ध करायेंगे
2.	जिला कृषक सलाहकार समिति के अध्यक्ष एवं उप परियोजना निदेशक	दस ग्राम	माह में दस ग्रामों का परिभ्रमण/बैठक	महीने के अंत में दोनों पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षर से प्रतिवेदन कार्यक्रम समन्वयक एवं परियोजना निदेशक, आत्मा को उपलब्ध करायेंगे।
3.	प्रखण्ड कृषक सलाहकार समिति के अध्यक्ष एवं प्रखण्ड तकनीकी दल	प्रखण्ड स्तर पर बैठक	माह में एक बार परिभ्रमण/बैठक	महीने के अंत में दोनों पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षर से प्रतिवेदन परियोजना निदेशक, आत्मा/कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र को उपलब्ध करायेंगे।
4.	प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक; विषय वस्तु विशेषज्ञ, आत्मा; जनसेवक एवं कृषक मित्र	सप्ताह में चार दिन, प्रत्येक दिन दो गांव	माह में 32 ग्रामों का परिभ्रमण/बैठक	महीने के अंत में प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक के हस्ताक्षर से प्रतिवेदन चिन्हित उप परियोजना निदेशक, आत्मा को उपलब्ध करायेंगे।

निम्नलिखित तालिका में भ्रमण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा :

भ्रमण प्रतिवेदन की तालिका

भ्रमण (तिथि)	गाँव/पंचायत (नाम)	सम्पर्कित कृषक का नाम	सम्पर्कित कृषक के पिता/पति का नाम	मोबाईल न0	सम्पर्कित कृषक का हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6

हस्ताक्षर **हस्ताक्षर**

- आत्मा और कृषि विज्ञान केन्द्र के कर्मी क्षेत्र दिवस, किसान मेला, गोष्ठी आयोजन तथा कृषक पाठ्शाला लगाने में एक दूसरे के साथ समन्वय स्थापित करेंगें ताकि एक ही संस्था/किसान को दुहरा लाभ न मिले। दोनों संस्थान सुनिश्चित करेंगे कि वैज्ञानिक अनुसंधान का लाभ खेत तक पहुंचे।
- आत्मा प्रबंधन समिति, जिसमें के.वी.के. के प्रमुख भी एक सदस्य हैं, द्वारा आत्मा के अन्तर्गत गतिविधियों में प्रौद्योगिकी प्रयोग की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा के.वी.के. अर्द्धवार्षिक आधार पर (अर्थात खरीफ और रबी फसल से पहले) नवीनतम कृषि तकनीक आत्मा को उपलब्ध करायेंगे जिससे किसानों के बीच इसका व्यापक प्रचार किया जा सके।
- आत्मा कार्यक्रम के अन्तर्गत के.वी.के. गतिविधियों के लिए धनराशि सीधे के.वी.के. को उपलब्ध करवाई जायेगी। जिसकी सूचना संबंधित नियंत्रण पदाधिकारियों जैसे कि विश्वविद्यालय से जुड़े के.वी.के. के मामले में निदेशक प्रसार शिक्षा (डी.ई.ई) तथा नियंत्रक (कम्पट्रोलर) और भा.कृ.अ.प. संस्थाओं से जुड़े के.वी.के. के लिए संबंधित संस्थान के निदेशक को दे दी जायेगी। गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा संचालित के.वी.के. के लिए धनराशि सीधे के.वी.के. को उपलब्ध करवाई जायेगी। इसकी सूचना क्षेत्रीय परियोजना निदेशक (जेड.पी.डी.) एवं निदेशक समेति, झारखण्ड को दे दी जायेगी। आत्मा द्वारा

उपलब्ध करवाई गई धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं गुणात्मक प्रगति रिपोर्ट के.वी.के. द्वारा ही प्रस्तुत की जायेगी, किन्तु संबंधित स्थानीय संस्थान तथा अनुश्रवण प्राधिकारी (जैसेः राज्य कृषि विश्वविद्यालय, भा.कृ.अ.प. के संस्थान तथा क्षेत्रीय परियोजना निदेशक) के.वी.के. की गतिविधियों को जिसमें आत्मा से जुड़े कार्यकलाप भी शामिल है, का अधिवीक्षण जारी रखेंगे। यह सभी अधिवीक्षण अधिकारी प्रत्येक तिमाही में अपने द्वारा देखे गये कृषि विज्ञान केन्द्रों की भौतिक व गुणत्मक प्रगति तथा नीतियों के अमल में आ रही समस्याओं की एक रिपोर्ट राज्य सरकार व कृषि विश्वविद्यालय को सौपोंगे। इस प्रकार जिला स्तर पर आत्मा भी इन मुद्दो से अवगत हो सकेगी।

- दीर्घकालीन अनुसंधान से जुड़े मुद्दों को क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केन्द्रों की सहायता से कृषि–जलवायु संबंधी दोनों के क्षेत्रवार आधार पर संकलित किया जाएगा। इस तरह के मुद्दों के बारे में अंतर्विभागीय कार्यसमूह (आई.डी.डब्ल्यू.जी.) के अनुमोदन से संबंधित राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से संबंधित क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केन्द्रों को औपचारिक रूप से अवगत कराया जायेगा। अंतर्विभागीय कार्यसमूह, जिसमें राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति के साथ–साथ राज्य में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों के निदेशक भी मनोनीत है, के द्वारा क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा किए जा रहे अनुसंधान कार्यो की प्रगति की समीक्षा की जायेगी।
- कृषि विज्ञान केन्द्र भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता विभाग के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों जैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, आदि के कार्यान्वयन के लिए आत्मा और जिला प्रशासन को सलाह देगें। कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिक प्रखण्ड तकनीकी दल को तकनीकी सलाह देंगे और प्रखण्ड कृषि योजना की तैयारी में (विशेषतः अनुसंधान से संबंधित मुद्दों/कमियों और रणनीतियों के मामलों में) सक्रिय भागीदारी निभायेंगें।

किसान कॉल केन्द्रों में प्रश्नों के अगले स्तर पर जाने की स्थिति में कृषि विज्ञान केन्द्र जिला स्तर के कर्मियों को आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करेंगें।

उपरोक्त भ्रमण प्रतिवेतन के फलाफल से संकलित प्रतिवेदन निदेशक, समेति एवं निदेशक प्रसार शिक्षा, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय को समर्पित किया जायेगा, तथा निदेशक, समेति, झारखण्ड एवं निदेशक, प्रसार शिक्षा के संयुक्त समन्वय से कृषि निदेशक–सह–राज्य नोडल पदाधिकारी के माध्यम से सचिव, कृषि एवं गन्ना विकास विभाग, झारखण्ड, रांची तथा कुलपति, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, राँची को अवगत कराया जायेगा।

उपरोक्त कर्णांकित पदाधिकारी/वैज्ञानिक/प्रसार कर्मी को अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निदेश दिया जाता है।

ह0/–
कुलपति,
बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची।

ह0/–
सचिव,
कृषि एवं गन्ना विकास विभाग,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांकः 105/ दिनांक : 29/07/13

प्रतिलिपि : अध्यक्ष, राज्य, जिला एवं प्रखण्ड स्तरीय कृषक सलाहकार समिति/कृषक मित्र, जनसेवक, सभी सदस्य, प्रखण्ड तकनीकी दल, प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक, विषय वस्तु विशेषज्ञ, एवं उप परियोजना निदेशक (आत्मा) तथा विषय वस्तु विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केन्द्र सभी जिले, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

29/7/13
निदेशक,
समेति, झारखण्ड।

ज्ञापांकः 105/ दिनांक : 29/07/13

प्रतिलिपि : परियोजना निदेशक, आत्मा एवं कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, सभी जिले, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

29/7/13
निदेशक,
समेति, झारखण्ड।

ज्ञापांकः 105/ दिनांक : 29/07/13

प्रतिलिपि : उपायुक्त–सह–अध्यक्ष (आत्मा)/उप विकास आयुक्त–सह–उपाध्यक्ष (आत्मा), सभी जिले, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/7/13
निदेशक,
समेति, झारखण्ड।

ज्ञापांकः 1051 ....   दिनांक : 29/07/13

प्रतिलिपि : समेति, झारखण्ड के सभी संकाय सदस्य, उप निदेशक, गतिविधि प्रभारी, लेखा पदाधिकारी एवं राज्य स्तरीय समन्वयक (एक्सटेंशन रिफोर्म्स) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/7/13

निदेशक,

समेति, झारखण्ड।

ज्ञापांकः 1051 ....   दिनांक : 29/07/13

प्रतिलिपि : क्षेत्रीय परियोजना निदेशक (जेड.पी.डी. जोन-II)/निदेशक, प्रसार शिक्षा, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांके, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/7/13

निदेशक,

समेति, झारखण्ड।

ज्ञापांकः 1051 ....   दिनांक : 29/07/13

प्रतिलिपि : भा0कृ0प0/गैर सरकारी संस्था द्वारा संचालित (कृषि विज्ञान केन्द्र) प्रधान वैज्ञानिक/सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/7/13

निदेशक,

समेति, झारखण्ड।

ज्ञापांकः 1051 ....   दिनांक : 29/07/13

प्रतिलिपि : सलाहकार (एक्सटेंशन रिफोर्म्स), कृषि सुधार इकाई, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/7/13

निदेशक,

समेति, झारखण्ड।

ज्ञापांकः 1051 ....   दिनांक : 29/07/13

प्रतिलिपि : कृषि निदेशक-सह-राज्य नोडल पदाधिकारी (एक्सटेंशन रिफोर्म्स), झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/7/13

निदेशक,

समेति, झारखण्ड।

ज्ञापांकः 1051 ....   दिनांक : 29/07/13

प्रतिलिपि : सचिव, कृषि एवं गन्ना विकास विभाग, झारखण्ड, रांची एवं कुलपति, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, काँके, रांची के सेवा में सूचनार्थ समर्पित।

29/7/13

निदेशक,

समेति, झारखण्ड।